न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) प्रकरण, भरतपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारीः गिरिजा भारद्वाज, आर.जे.एस.(डी.जे.कैड़र)

सेशन प्रकरण संख्याः 79/2018 (सीआईएस नं0 195/2018)

राजस्थान राज्य----------अभियोगी

बनाम

1. जोगेन्द्र पुत्र रमेश,
2. रमेश पुत्र समन्दर,

   जाति जाट निवासीगण तरोडर पुलिसथाना नगर जिला भरतपुर (राज0)

---अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 विकल्प में 323/34, 504 भा.दं.सं. व धारा 3(1) (r), 3(1) (s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

उपस्थितिः

1. श्री यदुवीर सिंह सिनसिनवार, विशिष्ठ लोक अभियोजक।
2. श्री विजयसिंह वन्देला, अधिवक्ता परिवादी ।
3. श्री मनवीरसिंह वर्मा, अधिवक्ता अभियुक्तगण ।

दिनांकः 30.06.2022

निर्णय

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 02.07.2018 को परिवादी सोरन व अचल ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिसथाना नगर के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की कि आज दिनांक 30.06.2018 को शाम करीब 6.30 बजे हम सोरन,

अचल, सोनू, ओमवीर आदि बच्चे खेतों में क्रिकेट खेल रहे थे, इतने में एकराय मशविरा करके जोगेन्द्र, अशोक, नरेन्द्र ने आते ही हम खेलतों से मां-बहिन की गन्दी-गन्दी गालियां देते हुए चमार, ढेडा, मादरचोद जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर मारपीट करने लग गए, जब हमने गाली देने व मारपीट करने से मना किया तो जोगेन्द्र ने हमारे को जान से मारने की नियत से ट्रैक्टर चढा दिया लेकिन हम भाग गए तथा बाद में उक्त सभी अभियुक्तगण पुनः हमारे घरों पर लाठी, डण्डा, कट्टा, बन्दूक लेकर आए और आकर ईंट-पत्थर फेंके तथा जोगेन्द्र ने महेश का लाठी से सिर फाड दिया तथा मुनेश, हरेन्द्र, निहालो, अतरसिंह, परसराम फौजी ने चमार, ढेडा जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर ईंट-पत्थर फेंके, इसके बाद प्रमोद दुकान बन्द करके घर जा रहा था तभी रास्ते में मुन्ना सारंगपुर में मोबाइल खराब होने का झांसा देकर प्रमोद को जबरन बंधक बनाकर अपने घर ले गया और उसकी मारपीट की.....आदि - आदि ।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नगर ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया एवं बाद अनुसंधान पुलिस ने अभियुक्तगण जोगेन्द्र व रमेश के विरूद्व भा.दं.सं. की धारा 323, 341, 504 व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध में आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 341, 323 विकल्प में 323/34, 504 भा.दं.सं. व धारा 3(1) (r), 3(1) (s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा

चाही।

4. परिवादी/मजरूब एवं अभियुक्तगण ने धारा 341, 323, 504 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में राजीनामा पेश करने की अनुमति चाही, जो बाद गौर दी गई। परिवादी/मजरूब एवं अभियुक्तगण की ओर से धारा 341, 323, 504 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों में राजीनामा पेश किया गया, जो बाद जांच तस्दीक किया गया। अब अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध के आरोपों का विचारण शेष है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड.1 सोरन, पी.ड.2 महेश, पी.ड.3 अचलसिंह, पी.ड.4 सोनू, पी.ड.5 ओमवीर, पी.ड.6 प्रमोद, पी.ड.7 डॉक्टर राकेशकुमार, पी.ड.8 अनिल मीणा को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी.9 दस्तावेजात को प्रदर्शित कराकर साबित कराया गया।

6. पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्व आई साक्ष्य के बारे में अभियुक्तगण स्वयं स्पष्टीकरण दे सकें, इस हेतु बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्व किये गये, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना कथन किया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करने से इन्कार किया।

7. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. दौराने बहस विशिष्ठ लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को

आरोपित अपराध में दोषी करार दिया जाकर कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का दौराने बहस तर्क रहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सभी महत्वपूर्ण गवाहान न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुये हैं और उन्होंने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है, पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है, अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे।

10. मैंने बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता व सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया।

11. न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दु यह है कि-

(i) क्या अभियुक्तगण ने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं होते हुये दिनांक 30.06.2018 को शाम 6.30 बजे जंगल ग्राम तरोडर में जो कि सार्वजनिक दृष्टि वाला स्थान है, परिवादी पक्ष को यह जानते हुये कि वह अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, उनका साशय इरादतन अपमान किया तथा उनको सार्वजनिक रूप से जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित करते हुये गाली दीं तथा उनके विरूद्व धारा 341, 323 भा.दं.सं. का अपराध यह जानते हुये किया कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य हैं ?"

(ii) यदि हां तो अभियुक्तगण को क्या दण्ड मिलना चाहिये ?

12. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन साक्षियों का अवलोकन करें, तो अभियोजन की ओर से गवाह सोरन को पी.ड.1 के रूप में परीक्षित कराया गया है जो कि स्वयं परिवादी भी है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह, अचल,

मोरध्वज, सोनू आदि क्रिकेट खेलने गए थे, वहां पर जोगेन्द्र आ गया, उसने कहा कि इधर मत खेलो, उधर खेलो, उनके मध्य तू-तू मैं-मै हो गई, फिर सारे बच्चे घर पर वापस आ गए, उसके बाद और कोई बात नहीं हुई, बाद में जोगेन्द्र वगैरा घर पर आ गए । यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर इसने कहा कि रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 का भाग ए से बी व सी से डी उसने नहीं लिखाया । इस गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, चॉक एफ आई आर प्रदर्श पी.2 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा यह कहा कि पुलिस बयान प्रदर्श पी.4 का भाग ए से बी उसने पुलिस को नहीं दिया । अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह करने पर इसने स्वीकार किया है कि जोगेन्द्र वगैरा ने उसके सामने कोई मारपीट नहीं की, उसने रिपोर्ट में जो लिखाया वह दूसरों के कहने से लिखाया था, जोगेन्द्र, रमेश ने उनको जाति सूचक गालियां नहीं दी थीं । इस प्रकार इस गवाह ने अपने सशपथ बयानों में मुलजिमान से तू-तू मैं-मै होना बताते हुए मुलजिमान द्वारा मारपीट व जाति सूचक गालियां देने से इन्कार किया है ।

13. गवाह अचलसिंह को पी.ड.3 के रूप में परीक्षित कराया गया है । इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह, सोरन, सोनू, ओमवीर आदि क्रिकेट खेल रहे थे, वहां पर जोगेन्द्र आया और उनसे तू-तू मैं-मै करने लगा गया और खेलने से मना की, वे वहां से खेलना बंद कर घर पर आ गए, बाद में जोगेन्द्र, रमेश वगैरा उनके घर पर आए, वहां पर उनसे कुछ नहीं कहा । यह गवाह भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर इसने रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, चॉक एफ आई आर प्रदर्श पी.2 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा यह स्वीकार किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी.6 का भाग ए से

बी उसने पुलिस को नहीं दिया । इस प्रकार इस गवाह ने अपने बयानों में केवल तू-तू मै-मै होने का कथन किया है ।

14. गवाह पी.ड.2 महेश स्वयं मजरूब है । इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह घर से मौहल्ले में जा रहाथा, वहां पर चार-पांच आदमी इकट्ठे हो रहे थे, जब वह पहुंचा तो वहां पर जोगेन्द्र ने ईट-पत्थर फेके, वह वहां से भागने लगा तो उसके सिर में लग गई । इस गवाह ने चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.5 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है । इस गवाह ने जिरह में स्वीकार किया कि उसके साथ जोगेन्द्र व रमेश ने कोई मारपीट नहीं की तथा उन्होंने उसे चमार, ढेडा आदि जाति सूचक गालियां भी नहीं दी । इस प्रकार इस गवाह ने अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने व जाति सूचक गालियां देने से इन्कार किया है ।

15. अन्य गवाह पी.ड.4 सोनू, पी.ड.5 ओमवीर व पी.ड.6 प्रमोद पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और उन्होंने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है । इन्होंने अपने बयानों में मुलजिमान द्वारा मारपीट व गाली गलौंच करने से इन्कार किया है ।

16. गवाह पी.ड.7 डॉक्टर राकेश ने अपने बयानों में मजरूब महेश के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.5 को साबित किया है जो कि प्रकरण के प्रकाश में औपचारिक गवाह है । गवाह पी.ड.8 अनिल मीणा प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसने अपने बयानों में हालात तफतीश कथन किए हैं । यह एक सम्पुष्टिकारक गवाह है जिसकी पुष्टि अन्य चश्मदीद गवाहों से होना आवश्यक थी किन्तु अभियोजन की ओर से किसी भी गवह ने अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है ।

17. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से पेश चश्मदीद गवाहान में किसी भी गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया कि

अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष को किसी प्रकार की गाली गलौंच की हो। स्वयं परिवादी/मजरूब पी.ड.1 सोरन, पी.ड.2 महेश व पी.ड.3 अचलसिंह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया कि अभियुक्तगण ने उनको किसी प्रकार की कोई गाली गलौंच की हो। पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण ने परिवादी पक्ष के विरूद्व धारा 341, 323 भा.दं.सं. का अपराध यह जानते हुये किया हो कि वह अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, इसलिये अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

18. अतः अभियुक्तगण जोगेन्द्र पुत्र रमेश व रमेश पुत्र समन्दर जाति जाट निवासीगण तरोडर पुलिसथाना नगर जिला भरतपुर (राज0) को धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा 341, 323 सपठित धारा 34 के अपराध के आरोपों से बरूये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(गिरिजा भारद्वाज)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,
(अत्याचार निवारण) प्रकरण, भरतपुर

19. निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गिरिजा भारद्वाज)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,
(अत्याचार निवारण) प्रकरण, भरतपुर